

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निवाइ जिला टोंक

(जे.पी. बैरवा आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी निवाइ द्वारा अध्यासित)
प्रा०पत्र संख्या :-138 / 2019
निर्णय दिनांक:-24.06.2019

उनवान

बंशी बनाम तहसीलदार

प्रार्थना पत्र तहत दफा 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट
बाबत् किये जाने पत्थरगढी

उपस्थित:- श्री रामबाबू शर्मा वकील प्रार्थी

निर्णय

पत्रावली बाबत् पत्थरगढी आराजी ख०नं० 427 रकबा 06-10 बीघा वाके ग्राम झुझारपुरा तह० निवाइ पेश हुयी। प्रतिपक्षी की तामिल हो चुकी है। वकील प्रार्थी की एकतरफा बहस सुनी गयी। बहस पर मनन किया गया। न्यायालय प्रार्थी के प्रार्थना-पत्र को स्वीकार करना उचित समझता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र 128 एल.आर. एक्ट स्वीकार किया जाता है तथा-तहसीलदार निवाइ को 1000 रूपये मौका कमिश्नर फीस पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिये जाते है कि वादग्रस्त ख०नं० 427 रकबा 06-10 बीघा वाके ग्राम झुझारपुरा तह० निवाइ का नियमानुसार सीमाज्ञान कर पत्थरगढी करवाने की सुनिश्चितता करें। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो तथा दफतर दाखिल हो।

यह निर्णय आज दिनांक 24.06.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

जे.पी. बैरवा

(आर.ए.एस.)

उपखण्ड अधिकारी निवाइ